महत्वपूर्ण

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
स्टेट हेल्थ एजेन्सी,
ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0
चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
10 अशोकमार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा–444–Misc(G)/2022–23 1853 लखनऊः दिनांक 11 दिसम्बर, 2022

विषय–पंण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय जनपदों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना से आच्छादित अनेक लाभार्थी निजी चिकित्सालयों में कैशलेस ओ0पी0डी0 /परामर्श सेवाओं/रूटीन हेल्थ चेकअप हेतु जा रहे हैं, परन्तु चिकित्सालय द्वारा इस प्रकार की कैशलेस ओ0पी0डी0 सेवायें देने से मना किया जा रहा है।

तत्क्रम में यह आवश्यक है कि योजना से आच्छादित लाभार्थियों को योजनान्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं की पूर्ण जानकारी हो। इसी परिपेक्ष्य में योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख किया जा रहा है। सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराने हेतु जनपद स्तर से पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।

1. स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने से सम्बन्धित प्रोसेस फ्लो/वीडियो क्लिप, योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अनुमन्य लाभ, आबद्ध चिकित्सालयों की जनपदवार एवं उपलब्ध विशेषज्ञताओं सहित सूचना, योजना से सम्बन्धित शासनादेश/दिशा–निर्देश/नियमावली के साथ–साथ अन्य समस्त आवश्यक जानकारी योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in पर उपलब्ध है।
2. **योजना के अन्तर्गत केवल अन्तःरोगी (Indoor patients) को कैशलेरा उपचार की सुविधा अनुमन्य है। किसी प्रकार का ओ0पी0डी0 उपचार/परामर्श/जांच आदि की कैशलेस सुविधा इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध नही है। ओ0पी0डी0 सेवाओं हेतु पूर्व की भॉति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू है।**
3. वर्तमान में योजना का लाभ उ0प्र0 के समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कालेजों/अन्य सरकारी चिकित्सालयों तथा आयुष्मान योजनान्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध है। उ0प्र0 के बाहर स्थित चिकित्सालयों में योजनान्तर्गत कैशलेस चिकित्सा की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नही है। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों में भी योजना

Scanned with CamScanner

के लाभार्थियों को कैशलस उपचार उपलब्ध कराने हेतु (Portability of cashless treatment facility) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार से सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

4. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों में इस योजना के लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध नही है। ऐसे चिकित्सालयों में उपचार के उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर स्थित चिकित्सालयों में उपचार के उपरान्त योजना के लाभार्थियों को नियमानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं के सम्बन्ध में समस्त सरकारी विभागों के सूचनार्थ अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीया

Sungi 14/12/22

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: एस0ई0सी0टी0एस0 / पत्रा–444–Misc(G) / 2022–23 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner